संख्या-1/2023/444/24-ऊ0नि0नि0प्र0/23-02(प्रकोष्ठ)/03

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर, 2023

विषयः- ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत निगमों के पूँजीगत व्यय के प्रस्ताव के अप्रेजल, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की व्यवस्था निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विगत कुछ समय से विभिन्न विभागों द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा अन्य डिस्काम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये आगणनों पर पी0एफ0ए0डी0 की भाँति परीक्षण हेतु ऊर्जा विभाग का मन्तव्य प्राप्त करने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों से उनकी पत्रावलियां ऊर्जा विभाग को प्राप्त हो रही हैं। ऊर्जा विभाग में ऐसा कोई सेल या अन्य व्यवस्था नहीं है जो पी0एफ0ए0डी0 की भांति परीक्षण हेतु सक्षम हो। अपितु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत निगमों के पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव के अप्रेजल, मूल्यांकन एवं अनुमोदन आदि की प्रक्रिया ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/2017/417/24-ऊ0नि0नि0प्र0/ 17-2 (प्रकोष्ठ)/03, दिनांक 23.08.2017 (प्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सम्पन्न की जाती है।

2- विभिन्न विभागों द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा अन्य डिस्काम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियों को विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि से पूंजीगत कार्य कराने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा अन्य डिस्काम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये आगणनों के परीक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश संख्या-1/2017/417/24-ऊ0नि0नि0प्र0/17-2 (प्रकोष्ठ)/03, दिनांक 23.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित विभागों के द्वारा कार्यवाही की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-10-120-X-2023-24, दिनांक 24.11.2023 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2023/444(1)/24-ऊ0नि0नि0प्र0/23 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि० तथा प्रबन्ध निदेशक, केस्को।
7. निदेशक, पी०आई०बी०/पी०एफ०ए०डी० योजना भवन, लखनऊ।
8. ऊर्जा अनुभाग-01/ 02/ 03, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017/417/24-ऊ0नि0नि0प्र0/17-2 (प्रकोष्ठ)/03

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2017**

विषय- ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत निगमों के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों के अप्रेजल, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की निर्धारित व्यवस्था में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्जा विभाग के अधीन कार्यरत निगमों के पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव अप्रेजल मूल्यांकन एवं अनुमोदन आदि की प्रक्रिया ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-3/24-ऊ0नि0नि0प्र0/15-2 (प्रकोष्ठ) /03 दिनांक 02.01.2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सम्पन्न की जाती थी, जिसे संशोधित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	प्रस्ताव की सीमा	अप्रेजल का स्तर	अनुमोदन का स्तर
1	रू0 10.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता	सम्बन्धित निदेशक मण्डल।
2	रू0 10.00 करोड़ से रू0 50.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन।
3	रू0 50.00 करोड़ से रू0 200.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरान्त ई0टी0एफ0 की संस्तुति के पश्चात मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन।
4	रू0 200.00 करोड़ के ऊपर के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरान्त ई0टी0एफ0 की संस्तुति के पश्चात मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त व्यवस्था/संशोधन के फलस्वरूप इनर्जी टास्क फोर्स की उपसमिति की संस्तुति/अनुमोदन की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा उपसमिति द्वारा सम्पादित किया जाने वाला कार्य प्रमुख सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा और शासनादेश संख्या-3/24-ऊ0नि0नि0प्र0/15-2(प्रकोष्ठ)/03 दिनांक 02.01.2015 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए शेष अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2017/417(1)/24-ऊ0नि0नि0प्र0/17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सिंचाई/पर्यावरण/न्याय एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, वित्त (श्री मित्तल), उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पी0आई0बी0/पी0एफ0ए0डी0 योजना भवन लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव एवं निजी सचिव प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
6. ऊर्जा अनुभाग-1/2 एवं 3

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।